

सेवा में,

32

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबन्धक,

मंडल कार्यालय, (उ.प.रे)

अजमेर 305001

विषय:- शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के रेल रियायत हेतु फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करने हेतु आवेदन।

1.	आवेदक का नाम	श्री/श्रीमती/कु
2.	पिता/पति का नाम	श्री
3.	जन्म तिथि	
4.	पता :	
		पिन कोड,
5.	संपर्क हेतु दूरभाष सं./मोबाईल नम्बर	
6.	अक्षमता का प्रकार:	अस्थि विकृत/अधरंग व्यक्ति/मानसिक विकृत/पूर्णतः नेत्रहीन/पूरी तरह से मूक एवं बधिर
7.	रियायत प्रमाण पत्र जारी करने वाले अस्पताल/ संस्था का पूरा नाम व पता	
8.	प्रमाण पत्र जारी करने वाले डाक्टर/संस्था का नाम	
9.	डाक्टर का रजिस्ट्रेशन नं.	

आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले स्वयं प्रमाणित दस्तावेजों की प्रतिलिपी की चेक लिस्ट

1.	रियायत प्रमाण पत्र (उत्तर पश्चिम रेलवे के क्षेत्राधिकार से जारी)	हाँ/नहीं
2.	फोटो आई.डी.प्रमाण	हाँ/नहीं
3.	जन्म तिथि प्रमाण	हाँ/नहीं
4.	पते का प्रमाण	हाँ/नहीं
5.	दो फोटो/स्टैम्प साईज	हाँ/नहीं

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

नोट- (1) आवेदन पत्र भेजने का पता वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबन्धक,
मंडल कार्यालय, माल रोड,
(उ.प.रे) अजमेर पिनकोड 305001

(2) आवेदन पत्र व्यक्तिगत या डाक द्वारा भेजा जा सकता है। लिफाफे पर - "शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के रेल रियायत हेतु फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करने हेतु आवेदन" लिखा होना चाहिए

(3) कार्ड जारी करने से पूर्व मूल रियायत प्रमाण पत्र पर कार्यालय द्वारा आवश्यक इन्ड्रोज व सील लगायी जायेगी आत रियायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते समय बिना लेमिनेशन का होने पर ही कार्ड जारी किया जायेगा।

161

Concession Certificate for Persons with Disabilities (Divyangjan)

Concession certificate form for orthopaedically handicapped/paraplegic person/patients/ mentally retarded person/ person with visual impairment with total absence of sight/ person with hearing and speech impairment totally (both afflictions together in the same person)

Paste passport size
photograph
Duly signed and
stamped by the
issuing Doctor

This is to certify that Km/Shri/Smt. _____ whose particulars are furnished below is a bonafide ORTHOPAEDICALLY HANDICAPPED/ PARAPLEGIC PERSON/ PATIENTS WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT THE ASSISTANCE OF AN ESCORT / MENTALLY RETARDED PERSON WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT AN ESCORT/ PERSON WITH VISUAL IMPAIRMENT WITH TOTAL ABSENCE OF SIGHT / PERSON WITH HEARING AND SPEECH IMPAIRMENT TOTALLY (BOTH AFFLICTIONS TOGETHER IN THE SAME PERSON)*

Particulars:

- a) Address: _____
- b) Father's/Husband's Name: _____
- c) Age: _____
- d) Sex: _____
- e) Nature of Handicap: (To be written by doctor whether the disability is temporary or permanent) : _____
- f) Signature or thumb impression
of the person seeking concession (not necessary for those with
both hands missing or non-functional): _____

(Signature of Government Doctor#)

Place: _____

Date: _____

Clear seal of Government Hospital#

Seal containing full name and
Registration Number of the Doctor#

*Strike out where not applicable.

#For PERSON WITH VISUAL IMPAIRMENT WITH TOTAL ABSENCE OF SIGHT, RMP/Head of institution for the blind recognized can also issue certificate for visual impairment (with total absence of sight).

- 1) The certificate should be issued only to those ORTHOPAEDICALLY HANDICAPPED/ PARAPLEGIC PERSON/ PATIENTS WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT THE ASSISTANCE OF AN ESCORT / MENTALLY RETARDED PERSON WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT AN ESCORT/ PERSON WITH VISUAL IMPAIRMENT WITH TOTAL ABSENCE OF SIGHT / PERSON WITH HEARING AND SPEECH IMPAIRMENT TOTALLY (BOTH AFFLICTIONS TOGETHER). The photo must be signed and stamped in such a way that doctor's signature and stamp appears partly on the photo and partly on the certificate.
- 2) For mentally retarded person/ PERSON WITH VISUAL IMPAIRMENT WITH TOTAL ABSENCE OF SIGHT / PERSON WITH HEARING AND SPEECH IMPAIRMENT TOTALLY (BOTH AFFLICTIONS TOGETHER), the certificate will be valid for five years from the date of issue. For temporary disability in the case of orthopaedically/ paraplegic persons, the certificate will be valid for 5 years and in case of permanent disability, the certificate will remain valid for (1) five years, in case of persons upto the age of 25 years, (2) ten years, in case of persons in the age group of 26 to 35 years and (3) in case of persons above the age of 35 years, the certificate will remain valid for whole life of the concerned persons. After expiry of the period of validity of the certificate, the person is required to obtain a fresh certificate.
- 3) Photocopy of this certificate is accepted for the purpose of grant of concession. The original certificate will have to be produced for inspection at the time of purchase of concessional ticket and during the journey, if demanded.
- 4) No alteration in the form is permitted.

दिव्यांगजन के लिए रियायत प्रमाण पत्र

शारीरिक रूप से अस्थि विकृति से दिव्यांगजन/अधरंग व्यक्ति/मरीजों/मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति/पूर्ण रूप से दृष्टिहीनता वाले व्यक्ति/पूर्ण रूप से श्रवण और वाक हीन व्यक्ति(एक ही व्यक्ति में दोनों अक्षमताएं एक साथ) के लिए रियायती प्रमाणपत्र संबंधी फार्म

जारी करने वाले डॉक्टर
द्वारा विधिवत रूप से
हस्ताक्षर किया गया एवं
मोहर लगाया हुआ
पासपोर्ट आकार का फोटो
चिपकाएं

यह प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी/श्री/श्रीमती _____ जिसका विवरण नीचे दिया गया है वास्तव में अस्थि विकृति से दिव्यांग/अधरंग व्यक्ति/मरीज है, जो बिना किसी सहचर की सहायता से यात्रा नहीं कर सकता/मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति है, जो सहचर के बिना यात्रा नहीं कर सकता/ पूर्ण रूप से दृष्टिहीन व्यक्ति है/ पूर्ण रूप से श्रवण और वाक हीन व्यक्ति है(एक ही व्यक्ति में दोनों अक्षमताएं एक साथ)।

विवरण:

- क) पता : _____
ख) पिता/पति का नाम : _____
ग) आयु : _____
घ) लिंग : _____
ङ) दिव्यांगता किस प्रकार की है: (डॉ. द्वारा लिखा जाए कि अक्षमता अस्थायी या स्थायी है) _____
च) रियायत मांगने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (जिनके दोनों हाथ नहीं हैं या काम नहीं कर सकते, उनके लिए आवश्यक नहीं): _____

(सरकारी डॉ. के हस्ताक्षर #)

स्थान: _____
दिनांक: _____

सरकारी अस्पताल की स्पष्ट मोहर #

मोहर में डॉ. का पूरा नाम और रजिस्ट्रेशन सं. #

• जहां लागू नहीं हो उसे काट दें।

पूर्ण दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए, आरएमपी/नेत्रहीनों के लिए मान्यता प्राप्त संस्था का प्रधान भी दृष्टिदोष के लिए (पूर्ण दृष्टिहीनता के साथ) प्रमाणपत्र जारी कर सकता है।

- 1) यह प्रमाणपत्र केवल अस्थि विकृति से दिव्यांग/अधरंग व्यक्ति/मरीज जो बिना किसी सहचर की सहायता से यात्रा नहीं कर सकता/मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति, जो सहचर के बिना यात्रा नहीं कर सकता/ पूर्ण रूप से दृष्टिहीन व्यक्ति/ पूर्ण रूप से श्रवण और वाक हीन व्यक्ति (दोनों अक्षमताएं), को जारी किया जाना चाहिए। फोटो पर हस्ताक्षर और मोहर इस प्रकारलगी होनी चाहिए कि डॉक्टर के हस्ताक्षर और मोहर आंशिक रूप से एक साथ फोटो पर और आंशिक रूप से प्रमाणपत्र पर हो।
- 2) मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों/ पूर्ण रूप से दृष्टिहीन व्यक्ति/ पूर्ण रूप से श्रवण और वाक हीन व्यक्तियों (दोनों अक्षमताएं एक साथ), के लिए यह प्रमाण पत्र जारी की गई तारीख से पांच वर्ष के लिए मान्य होगा। अस्थि विकृति से दिव्यांग और अधरंग व्यक्तियों के मामले में अस्थायी अक्षमता के लिए यह प्रमाणपत्र 5 वर्ष के लिए मान्य होगा और स्थायी अक्षमता के मामले में यह प्रमाणपत्र (1) 25 वर्ष आयु तक के व्यक्तियों के मामले में 5 वर्ष (2) 26 से 35 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष (3) 35 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए यह प्रमाणपत्र संबंधित व्यक्तियों के पूरे जीवन के लिए मान्य रहेगा। प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि समाप्त होने के बाद, व्यक्ति को नया प्रमाणपत्र प्राप्त करना अपेक्षित है।
- 3) रियायत देने के लिए इस प्रमाण पत्र की फोटोप्रति भी स्वीकार की जाएगी। मूल प्रमाणपत्र रियायती टिकट की खरीद के समय और यात्रा के दौरान, यदि मांगा जाता है, प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
- 4) इस फॉर्म में किसी प्रकार का परिवर्तन किए जाने की अनुमति नहीं है।

D:\SM\yearwise TC\year 2017\proforma divyang.docx